

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड
जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आप.प्रक.कमांक 368 / 2015

आर.सी.टी. नं. 398 / 2015

संस्थित दिनांक-15.07.2015

म.प्र. राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र अंजड, जिला बड़वानी

-अभियोगी

वि रु द्ध

अजयपालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
जौदाना राजपूत, उम्र 32 वर्ष,
निवासी नयानिया, थाना बकानी,
जिला झालावाड (राजस्थान)

-अभियुक्त

राज्य तर्फे एडीपीओ

- श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्त तर्फे अभिभाषक

- श्री एल.के. जैन ।

—: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 25.05.2018 को घोषित)

अभियुक्त के द्वारा दिनांक 19.05.2015 को प्रातः 07:00 बजे के लगभग ग्राम बोरलाय पिपरी फाटा के पास में वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0 09 एच.जी. 8960 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर संतोष एवं करण को टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.05.2015 को प्रातः 07:00 बजे के लगभग 4 आरक्षक विजय द्वारा देहाती नालसी 0/15 लेखबद्ध करने पर फरियादी फकरुद्दीन द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि वह ग्राम बोरलाय रहकर ठेकेदारी का काम करता है। वह आज सुबह करीब 07:00 बजे के लगभग दुध लेकर उसके घर तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में पिपरी फाटे के पास बड़वानी तरफ से एक ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच.जी./8960 का चालक ट्रक को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर लाया व बोरलाय बस स्टेण्ड तरफ से लोनसरा फाटे की ओर जा रहे बिना नंबर की प्लेटिना मोटरसाईकिल जिसे संतोष पिता सुमरीया मानकर चलारहा था तथा करण पिता मोहन मानकर पीछे बैठा था को टक्कर मार दी, जिससे दोनों मोटरसाईकिल सहित रोड पर गिर गये जिस कारण दोनों को सिर में, हाथों में तथा शरीर पर टक्कर लगने से चोटें आई तथा दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ट्रक तेज रफ्तार में होने से रोड के बांयी ओर उतर गया ट्रक का चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। मौके पर संतोष का भाई रामलाल भी था जिसने आसपास को लोगों ने घटना देखी है। रिपोर्ट करता है। उक्त देहांती नालसी के आधार पर थाना अंजड पर अभियुक्त पर प्रथम दृष्टया अपराध क्रं0 106/2015 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. का अपराध ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0 09 एच.जी./8960 के चालक द्वारा पाया

जाने से प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। नक्शा मौका बनाया गया। मर्ग जांच की गयी। पी0एम0 रिपोर्ट बनायी गयी। जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को धारा 41 क का सचूना पत्र दिया किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए का अपराध विवरण पूर्व पीठासीन अधिकारी (श्रीमती वंदना राज पाण्डेय) द्वारा लगाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लेख किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि, वह निर्दोष है। उसे झूठा फसाया गया है, किन्तु बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

4- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त अजयपालसिंह ने दिनांक 19.05.2015 को प्रातः 07:00 बजे के लगभग ग्राम बोरलाय पिपरी फाटा के पास में वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0 09 एच.जी. 8960 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर संतोष एवं करण को टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष -

5. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फखरुद्दीन (अ.सा.1), मोहन (अ.सा.2), सुधीर जोशी (अ.सा.3), सहायक उपनिरीक्षक रूखडूसिंह (अ.सा.4), डॉ0 अवधेश स्वर्णकर (अ.सा.5), रामलाल (अ.सा.6), सुमरिया (अ.सा.7), कमल तारे (अ.सा.8) व पण्डु (अ.सा.9) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

6. सर्व प्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक संतोष एवं करण की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप हुयी है। इस संबंध में विचार करने पर साक्षी फखरुद्दीन (अ.सा.1) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, घटना वाले दिन वह प्रातः दुध लेकर उसके घर की ओर जा रहा था, तभी अंजड से बड़वानी की ओर आ रहे एक ट्रक जिसका नंबर उसे याद नहीं है, बड़वानी की ओर से आ रहे मोटरसाईकिल चालक को फाटे के पास टक्कर मार दी। जिन व्यक्तियों को

टक्कर लगी थी वे उसके गांव के ही संतोष व करण थे। मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई थी। मोहन (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है तथा घटना वाले दिन वह घर पर था। मोहल्ले वालों से उसे सूचना प्राप्त हुई थी कि संतोष एवं करण की पिपरी फाटे पर दुर्घटना हो गयी है, तब वह मौके पर आया था तब मौके पर दोनों की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने उसे मृतक संतोष एवं करण की लाश का पंचनामा बनाने के लिये प्रदर्श पी 7 एवं प्रदर्श पी 8 का सफीना फार्म दिया था जिस पर उसके निशानी अंगूठा है। पुलिस ने उसके सामने मृतक संतोष एवं करण की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 9 एवं प्रदर्श पी 10 का बनाया था, जिस पर उसने निशानी अंगूठा किया था।

7. रामलाल (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना लगभग ढाई वर्ष पूर्व की है तब संतोष एवं करण का एकसीडेंट हो गया था। उसे घटना की सूचना घर पर मिली थी तब वह घटना स्थल ग्राम बोरलाय गया था, पुलिस ने उसे मृतक संतोष एवं करण के शवों के पंचनामे बनाने हेतु प्रदर्श पी 7 एवं प्रदर्श पी 8 का सफीना फार्म दिया था, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने दोनों की लाशों के पंचनामे प्रदर्श पी 09 एवं प्रदर्श 10 बनाये थे, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 3 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। झुमरिया (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। मृतक संतोष उसका पुत्र था तथा मृतक करण उसका रिश्तेदार था जो घटना वाले दिन दोनों मोटरसाईकिल से दुध देने बोरलाय की ओ जा रहे थे तथा वह घर पर था तब उसे घटना की सूचना मिली थी तब वह मौके पर गया था। दुर्घटना में संतोष एवं करण की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने उसे मृतकगण की लाश का पंचनामा बनाने के लिये प्रदर्श पी 7 एवं प्रदर्श पी 8 का सफीना फार्म दिया था तथा उसके सामने प्रदर्श पी 9 एवं प्रदर्श पी 10 के लाश नक्शा पंचायतनामा तैयार किये थे।

8. डॉ. अवधेश स्वर्णकर (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि दिनांक 19.05.2015 को अस्पताल चौकी बड़वानी से आरक्षक प्रवीण, मृतक करण पिता मोहन, निवासी बोरलाया का शव मेडिकल परीक्षण हेतु लेकर आया था, जिसके परीक्षण के दौरान उसने मृतक की खोपड़ी में अस्थिभंग तथा उसका मस्तिष्क आई चोटों से बाहर निकला हुआ होकर क्षतिग्रस्त था तथा उसके अंतरिक सभी अंग पेल थे। साक्षी का यह भी कथन है कि उसके मत में मृतक करण की मृत्यु सिर पर आयी चोट के कारण उसके परीक्षण की अवधि के 24 घंटे के अंदर हुयी थी। उसके द्वारा दी गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि उक्त दिनांक को उसने मृतक संतोष पिता झुमारिया, निवासी बोरलाया के शव का परीक्षण प्रधान आरक्षक प्रमोद शर्मा के द्वारा लाये जाने पर किया था। जिसके परीक्षण के दौरान मृतक की छाती में 2-7 तक पसलियों के अस्थिभंग थे तथा मृतक के बांये फेफड़े में 6 गुणा 2 इंच का फटा घाव था जिसके कारण पूरी छातली में खून भरा हुआ था तथा मृतक के अंतरिक सभी अंग पेल थे। साक्षी के मत अनुसार मृतक संतोष की मृत्यु मार्मिक अंग (फेफड़े) पर आयी चोट तथा अत्यधिक रक्त बहने के कारण परीक्षण के 24 घंटे के अंदर हुई थी। उसके द्वारा दी गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. साक्षी फखरुद्दीन (अ.सा.1) के चोट से संबंधित कथनों का समर्थन साक्षी मोहन (अ.सा.2), रामलाल (अ.सा.6) तथा झुमरिया (अ.सा.7) के कथनों से होता है यद्यपि साक्षी मोहन (अ.सा.2), रामलाल (अ.सा.6) तथा झुमरिया (अ.सा.7) घटना के अनुश्रुत साक्षी हैं किन्तु घटना की सूचना के पश्चात् उक्त साक्षीगण घटना स्थल पर गये थे तथा पुलिस के द्वारा उक्त साक्षीगण से लाश का पंचनामा बनाने के लिये प्र.पी. 7 एवं प्र.पी. 8 का सफीना फार्म दिया था, जिस पर साक्षी मोहन का निशानी आंगूठा है, साक्षी रामलाल (अ.सा.6) तथा झुमरिया (अ.सा.7) के हस्ताक्षर हैं। लाशों के पंचनामों प्र.पी. 9 व प्र.पी. 10 पर भी उक्त साक्षीगण के आंगूठा निशानी तथा हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी मोहन (अ.सा.2), रामलाल (अ.सा.6) व झुमरिया (अ.सा.7) के कथनों से फखरुद्दीन (अ.सा.1) द्वारा किये गये संतोष व करण की दुर्घटना में मृत्यु कारित होने संबंधित कथनों को बल मिलता है। साक्षी डॉ. अवधेश स्वर्णकर (अ.सा.5) के द्वारा भी उनके द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 13 तथा प्र.पी. 14 को प्रमाणित किया है। डॉ. अवधेश स्वर्णकर (अ.सा.5) के न्यायालयीन कथन फखरुद्दीन (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन करते हैं। घटना के पश्चात् लिखायी गयी देहाती नालसी में भी फखरुद्दीन (अ.सा.1) द्वारा यह बात लिखायी थी कि, घटना में मौके पर ही संतोष व करण की मृत्यु हो गयी। बचाव पक्ष द्वारा भी उक्त साक्षीगण के कथनों को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी है तथा उक्त साक्षीगण के कथन संतोष व करण की मृत्यु के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहे हैं। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, घटना दिनांक को संतोष एवं करण की मृत्यु दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुयी।

11. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक संतोष व करण की मृत्यु अभियुक्त अजयसिंह के द्वारा उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस संबंध में विचार करने पर बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क के दौरान पूर्ण रूप से यह प्रतिरक्षा ली गयी कि, अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से वाहन चलाकर घटना कारित नहीं की है। अभियुक्त की पहचान भी संदिग्ध है। चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा भी अभियुक्त वाहन चालक की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अतः अभियुक्त के द्वारा घटना कारित नहीं होना बताया है।

12. अभियोजन पक्ष के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्त के द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाया जा रहा था। साक्षियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन में यह बताया है कि, अभियुक्त के द्वारा ही दुर्घटना कारित कर संतोष व करण की मृत्यु कारित की है।

13. इस संबंध में विचार करने पर साक्षी फखरुद्दीन (अ.सा.1) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि, वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। घटना को लगभग एक वर्ष हो चुका है। घटना वाले दिन वह प्रातः दुध लेकर उसके घर की ओर जा रहा था, तभी अंजड से बड़वानी की ओर आ रहे एक ट्रक जिसका नंबर उसे याद नहीं है, बड़वानी की ओर से आ रहे मोटरसाईकिल चालक को फाटे के पास टक्कर मार दी। जिन व्यक्तियों को टक्कर लगी थी वे उसके गांव के ही संतोष व करण थे। मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई थी। ट्रक का चालक ट्रक

को तेज गति से चलाते हुए लाया था। दुर्घटना के पश्चात चालक ट्रक छोड़कर भाग गया था।

14. उक्त साक्षी का आगे यह भी कथन है कि पुलिस मौके पर आई थी तथा पुलिस ने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट मौके पर लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशांदाही से प्रदर्श पी 2 का घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके से दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को प्रदर्श पी 3 के अनुसार जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस प्रदर्श पी 4 के अनुसार मौके पर ही मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी गयी थी, जिसका नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी 5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तथा उसके कथन लिये थे।

15. उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, वह दुर्घटना स्थल पर लगभग 100 फीट की दूरी पर था तथा जैसे ही दुर्घटना हुई, वह दौड़ते हुए घटना स्थल पर पहुंचा था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचा ट्रक का चालक ट्रक से कूदकर भाग रहा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि, न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को उसने दुर्घटना कारित होने के पश्चात ट्रक से कूदकर भागते हुए देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि ट्रक का चालक ट्रक को सड़क पर संतुलनविहीन चलाकर आड़ी-तिरछी चला रहा था, जिस कारण दुर्घटना कारित हुई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसे आज ध्यान नहीं है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी 1 की देहांती नालिसी लेखबद्ध करवाते समय बी से बी भाग पर ट्रक का क्र. एम.पी. 09 एच जी 8960 बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने ट्रक को मौके पर जप्त कर पंचनामा बनाया था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस ने प्रदर्श पी 3 के जप्ती पंचनामों में जो ट्रक जप्त किया था उसका क्र. एम.पी. 09 एच.जी./8960 था या नहीं। साक्षी ने इंकार किया है कि उसने पुलिस को उसके कथन प्रदर्श पी 6 में ट्रक का क्र. एम. पी. 09 एच जी. 8960 बताया था। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया है।

16. मोहन (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। मृतक संतोष एवं करण को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है तथा घटना वाले दिन वह घर पर था। मोहल्ले वालों से उसे सूचना प्राप्त हुई थी कि संतोष एवं करण की पिपरी फाटे पर दुर्घटना हो गयी है, तब वह मौके पर आया था तब मौके पर दोनों की मृत्यु हो गयी थी। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया है।

17. रामलाल (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह अनुपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। मृतक संतोष उसका भाई था तथा मृतक करण उसका रिश्तेदार था। घटना लगभग ढाई वर्ष पूर्व की है तब संतोष एवं करण का एक्सीडेंट हो गया था। उसे घटना की सूचना घर पर मिली थी तब वह घटना स्थल

ग्राम बोरलाय गया था।

18. अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये तथा साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय वह मृतक करण के साथ ही दुध लेकर खड़ा हुआ था जब संतोष एवं करण मोटरसाईकिल लेकर जा रहे थे तभी बड़सानी की ओर से आ रहे ट्रक के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चलाकर उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। साक्षी ने इंकार किया है कि उसने पुलिस को उसके कथन में फखरुद्दीन के द्वारा ट्रक का क्रमांक देखने वाली बात बताई थी। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने मौके से ट्रक क्रमांक एम पी 09 एच जी 8960 को प्रदर्श पी 3 के अनुसार जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 3 के पंचनाम पर बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने इंकार किया है कि उसने पुलिस को उसके प्रदर्श पी 15 के कथन में घटना के संबंध में बताया था। साक्षी ने इंकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा हूँ। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया है।

19. झुमरिया (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह अनुपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। मृतक संतोष उसका पुत्र था तथा मृतक करण उसका रिश्तेदार था जो घटना वाले दिन दोनों मोटरसाईकिल से दुध देने बोरलाय की ओर जा रहे थे तथा वह घर पर था तब उसे घटना की सूचना मिली थी तब वह मौके पर गया था। दुर्घटना में संतोष एवं करण की मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया है।

20. साक्षी फकरुद्दीन (अ.सा.1) जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है उसके द्वारा आरोपी को पहचानने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। घटना वाले दिन वह प्रातः अपने घर की ओर जा रहा था तभी अंजड से बड़वानी की ओर आ रहे एक ट्रक जिसका क्रमांक भी साक्षी को याद नहीं है ने मोटरसाईकिल चालक को फाटे के पास टक्कर मार दी। इस प्रकार साक्षी ने वाहन क्रमांक याद नहीं होने से अभियोजन कहानी का भी समर्थन नहीं किया है तथा उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अभियुक्त को दुर्घटना कारित होने के पश्चात ट्रक में से भागते हुए देखा था तथा यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे ध्यान नहीं है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी 1 की देहांती नालसी लेखबद्ध करवाते समय ट्रक का क्र. एम.पी. 09 एच.जी. 8960 बताया था तथा यह भी अस्वीकार किया है कि अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी 6 में ए से ए भाग पर ट्रक का क्र. एम.पी. 09 एच.जी. 8960 बताया था।

21. साक्षी मोहन (अ.सा.2), रामलाल (अ.सा.6) तथा झुमरिया (अ.सा. 7) घटना के चक्षुदर्शी साक्षी न होकर अनुश्रुत साक्षी हैं उनके द्वारा भी अभियुक्त को पहचानने संबंधी कथन नहीं किये हैं। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत कल्याण कुमार गोगोई विरुद्ध आशुतोष अग्निहोत्री ए.आई.आर. 2011 सुप्रीम कोर्ट 760 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि— As per section 60 of**

Indian Evidence Act, hearsay deposition of witness is not admissible and cannot be read as evidence. Failure to examine a witness who could be called and examined is fatal to the case of prosecution. अतः उक्त साक्षीगण के न्यायालयीन कथन को दृष्टिगत रखते हुये तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर मोहन (अ.सा.2), रामलाल (अ.सा.6) तथा झुमरिया (अ.सा.7) अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आते हैं जिस कारण उनकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

22. सुधीर जोशी (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है, जो उसके ट्रक पर चालक के रूप में कार्य करता रहता है। उसके पास वर्ष 2013 से ट्रक क्र. एम.पी. 09/एच जी 8960 है, स्वतः कहा कि उक्त ट्रक साझेदारी में राहुल जायसवाल के साथ है। घटना मई 2015 की है तब अंजड़ और बड़वानी के बीच वाहन से दुर्घटना हो गयी थी, तब लोगों ने उक्त ट्रक को आग लगाकर जला दिया था। ट्रक बड़वानी से अंजड़ की ओर आ रहा था। ट्रक पर चालक कौन था, उसे नहीं मालूम, उसे दुर्घटना की सूचना ट्रांसपोर्टर ने दी थी। उसने उक्त ट्रक क्र. एम.पी. 09/एच जी 8960 की डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट, बीमा, पॉलिसी, उसके तथा राहुल के बीच निष्पादित साझेदारी अनुबंध तथा चालक अजयपालसिंह की चालन अनुज्ञप्ति को पुलिस को जप्त कराया था, जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 11 का है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 12 का लिखित कथन उसके हस्तलेख में है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

23. उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि ट्रक का संचालन उसके और पार्टनर के द्वारा किया जाता था। साक्षी ने पुलिस को दुर्घटना वाले दिन उसके वाहन पर कौन व्यक्ति चालक था इसके बारे में बताने से इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 12 के लिखित कथन में पुलिस को बी से बी भाग पर यह बात लिखकर दी थी कि ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.0 09/एच. जी/8960 वर्ष 2013 में खरीदा था, कि देखरेख एवं ट्रांसपोर्टिंग का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 12 के लिखित कथन में सी से सी भाग पर उसने पुलिस को यह बात लिखकर दी थी कि दिनांक 18.05.15 को उक्त ट्रक को उसका चालक अजयपाल पिता लक्ष्मणसिंह, निवासी निपानिया राजस्थान का इंदौर से माल भरकर बड़वानी लेकर गया था, एवं दिनांक 19.05.2015 को उक्त ट्रक को चालक आरोपी अजयपालसिंह ने बड़वानी से अंजड़ आते समय बोरलाय में उक्त वाहन से दुर्घटना की घटना घटित हो गयी थी। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उक्त बात उसे पाटन के ट्रांसपोर्टर ने बतायी थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 12 का लिखित कथन प्राप्त करने के लिये पुलिस ने उसके साथ कोई दबाव या मारपीट नहीं की थी।

24. घटना के अनुसंधानकर्ता रुखडूसिंह (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 10.08.2015 को उसने थाने के अपराध क्र. 106/15 धारा 304 ए, भा.द.स. में ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच जी. 8960 के रजिस्ट्रेशन

की छायांप्रति, फिटनेस, परमिट की छाया प्रति तथा उक्त बीमा पॉलिसी आरोपी अजय का ड्रायविंग लाईसेंस तथा भागीदारी लेख को जप्त कर प्रदर्श पी 11 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को वाहन के सह स्वामी सुधीर कुमार के कथन घटना दिनांक को चालक के रूप में कार्यरत् व्यक्ति के संबंध में पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किये थे, तब कथन में उक्त साक्षी ने घटना दिनांक को अजयपालसिंग पिता लक्ष्मणसिंह द्वारा वाहन को चलाया जाना बताया था। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिये गये सभी सुझावों से इंकार किया है।

25. पण्डु (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि उसकी गायत्री मोटर गैरेज के नाम से बड़वानी रोड अंजड पार चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों को सुधारने का गैरेज है। उसने द्वारा दिनांक 14.07.2015 को पुलिस थाना अंजड के अपराध क्र. 06/15 में जप्तशुदा ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच जी. 8960 का यांत्रिकीय परीक्षण किया था तथा परीक्षण के दौरान उसने उक्त ट्रक का इंजन, डेसबोर्ड एवं केबिन पूर्ण रूप से आग के कारण जल जाना पाया था तथा ऐसी स्थिति में वाहन को चलाकर उसका यांत्रिकीय परीक्षण किया जाना संभव नहीं था। उसके द्वारा दी गयी यांत्रिकीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

26. कमल तारे (अ.सा. 8) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि दिनांक 19.05.2015 को आरक्षक विजय द्वारा प्रदर्श पी 1 की देहांती नालसी लाकर प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा ट्रक क्र. एम.पी. 09 एच जी 8960 के चालक के विरुद्ध अपराध क्र. 106/15 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्श पी 16 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

27. सुधीर जोशी (अ.सा.3) द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि, ट्रक पर दुर्घटना के समय कौन चालक था उसे नहीं मालूम। उसे दुर्घटना की सूचना ट्रांसपोर्टर ने दी थी। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछने पर उसने दुर्घटना वाले दिन पुलिस को उसके वाहन पर कौन व्यक्ति चालक था इसके बारे में नहीं बताया था। यह जरूर स्वीकार किया है कि, प्र.पी. 12 के लिखित कथन में मैंने पुलिस को यह बात को लिखकर दी थी कि, दिनांक 18.05.2015 को उसका चालक अजयपाल इंदौर से माल भरकर बड़वानी ले गया था एवं दिनांक 19.05.2015 को उक्त ट्रक को चालक अजयपालसिंग ने बड़वानी से अंजड आते समय बोरलाय में उक्त वाहन से दुर्घटना कारित की तथा साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि, उक्त बाते उसे पाटन के ट्रांसपोर्टर ने बतायी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, उसे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि, घटना दिनांक को उक्त ट्रक अजयपाल द्वारा चलाया जा रहा था तथा यह भी अस्वीकार किया है कि, उसे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि, उक्त ट्रक उक्त दिनांक को कहा से कहा जा रहा था। इस प्रकार सुधीर जोशी (अ.सा.3) की भी साक्ष्य संदेहस्पद हो जाती है।

28. साक्षी पण्डु (अ.सा.9) द्वारा वाहन का यांत्रिकीय परीक्षण किया है

किन्तु मात्र उसकी साक्ष्य के आधार पर प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

29. अनुसंधानकर्ता अधिकारी रूखडुसिंग (अ.सा.4) ने उनके द्वारा अनुसंधान में की गयी कार्यवाही को तथा कमल तारे (अ.सा.8) द्वारा प्र.सू. प्रतिवेदन प्र. पी. 16 को प्रमाणित किया है। आहत् साक्षी फखरुद्दीन (अ.सा.1) के अलावा अन्य साक्षीगण अनुश्रुत साक्षी है जिस कारण उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इस कारण रूखडुसिंग (अ.सा.4), कमल तारे (अ.सा.8) तथा पण्डु (अ.सा.9) की साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की रह जाती है। चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाये जाने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। अभियुक्त के द्वारा उपेक्षापूर्वक, लापरवाहीपूर्वक व तेजी से वाहन चलाये जाने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

30. अनुसंधानकर्ता अधिकारी रूखडुसिंग (अ.सा.4), कमल तारे (अ.सा.8) तथा पण्डु (अ.सा.9) के कथन प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि के निष्कर्ष के आधार नहीं हो सकते हैं, और इस कारण अभियोजन का प्रकरण पुष्टि योग्य नहीं है। चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त साक्षीगणों के कथनों से यह स्पष्ट है कि, मृतक संतोष व करण की मृत्यु अभियुक्त अजयपालसिंग के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, और उसे उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत जवाहरलाल विरुद्ध म०प्र० राज्य 238 एम०पी० विकली नोट्स 1994—(II)** तथा **न्यायदृष्टांत राम दयाल विरुद्ध म०प्र० राज्य 1993 एम०पी०एल०जे०** अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, यदि वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है, तब दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है।

31. उपरोक्त समग्र विवेचना व उभय पक्षों के तर्क से यह प्रमाणित नहीं होता है कि, अभियुक्त अजयपालसिंग ने दिनांक 19.05.2015 को प्रातः 07:00 बजे के लगभग ग्राम बोरलाय पिपरी फाटा के पास में वाहन ट्रक क्रमांक एम०पी० 09 एच.जी. 8960 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर संतोष एवं करण को टक्कर मारकर उनकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304—ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

32. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्र० 4 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव अभियुक्त को धारा 304—ए भा०द०सं० के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

33. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

34. अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द०प्र०सं० की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

आप.प्रक.कमांक 368 / 2015

// 10 //

आर.सी.टी. नं. 398 / 2015

संस्थित दिनांक—15.07.2015

35. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन ट्रक कमांक एम.पी. 09 एच.जी. 8960 पूर्व से पंजीकृत स्वामी राहुल पिता अशोक जायसवाल निवासी स्टेशन रोड राउ, जिला इंदौर की सुपुर्दगी पर है उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधी पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही /—

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी

अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

सही /—

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी

अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.